

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई जिला टोक

प्रार्थना पत्र संख्या 67 वर्ष 2024

जगदीश बनाम अनु वगै.

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्वा जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए |
|-------------|--|---|
| 30.07.2024 | <p>मूल वाद के साथ श्री गौरव शर्मा एड० ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय की रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी वकील की प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस रुनी गयी। प्रार्थी के वकील की एक पक्षीय बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एव उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रबल प्रतीत होता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वाद ग्रस्त भूमि आराजियात ख०न० 1365/6, 1897 वाके ग्राम बहड तहसील निवाई जिला टोक में आगामी तारीख पेशी तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति (Status quo) बनाए रखे। तलबी अप्रार्थीगण की जरिये रजि. ऐडी की जाकर पत्रावली दिनांक 30.08.2024 को पेश हो।</p> | <p>3842-3860 05/08/24</p> <p>3/8/24</p> |
| | <p>30/8/24 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जायेगी।</p> | |
| | <p>11/10/24 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जायेगी।</p> | |
| | <p>17/12/24 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जायेगी।</p> | |
| | <p>24/1/25 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जायेगी।</p> | |
| | <p>प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जायेगी।</p> | |

3842-3860
05/08/24

3/8/24

30/8/24 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जायेगी।

11/10/24 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जायेगी।

17/12/24 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जायेगी।

24/1/25 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जायेगी।